**बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लि0,**
"खाद्य भवन", दारोगा प्रसाद राय पथ, आर0 ब्लॉक, रोड नं0-2, पटना-800001

## पदस्थापन अधिसूचना

बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर अनुशंसित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को अधोलिखित शर्तों के अधीन वेतनमान रु0 9300-34,800 ग्रेड पे 4600/- में बिहार राज्य खाद्य निगम द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अनुमान्य शर्तों के साथ परीक्ष्यमान सहायक प्रबंधक के पद पर नियुक्त किया जाता है।

| क्र0सं0 | अभ्यर्थी का नाम | परीक्षा का क्रमांक | गृह जिला | पदस्थापित जिला | आवंटित गोदाम |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | श्री रंजीत कुमार यादव | 103335 | बेगूसराय | भोजपुर | CMR गोदाम प्रभारी |
| 2 | श्री कुमुद कुमार चौधरी | 105030 | बेगूसराय | रोहतास | CMR गोदाम प्रभारी |
| 3 | श्री आनन्द वर्मा | 112648 | मुंगेर | वैशाली | CMR गोदाम प्रभारी |
| 4 | श्री सचिन कुमार | 114617 | मुंगेर | पटना | CMR गोदाम प्रभारी |
| 5 | श्री सुब्रत किशोर पाण्डेय | 110710 | छपरा | बक्सर | CMR गोदाम प्रभारी |
| 6 | श्री ललन पासवान | 111930 | मुजफ्फरपुर | किशनगंज | CMR गोदाम प्रभारी |

2. अभ्यर्थियों की तत्काल औपबंधिक रुप से इस शर्त के साथ नियुक्ति की जाती है कि यदि विशेष शाखा या पुलिस अधीक्षक से उनके संबंध में तथा उनके द्वारा समर्पित शैक्षणिक प्रमाण पत्र/अन्य प्रमाण पत्रों की सम्पुष्टि क्रम में कोई प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होता है अथवा कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो संबंधित अभ्यर्थी की सेवा तत्कालिक प्रभाव से रद्द की जा सकेगी एवं उनके विरुद्ध आवश्यक विधिक कारवाई भी की जा सकेगी।

3. सभी नियुक्त अभ्यर्थियों की पारस्परिक वरीयता बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा निर्धारित संयुक्त मेधा क्रमांक से अनुमान्य होगा।

4. सभी अभ्यर्थियों को यह निदेश दिया जाता है कि वे दिनांक 25.01.2017 के पूर्वाह्न तक संबंधित जिला प्रबंधक के कार्यालय में अपना योगदान समर्पित करेंगें।

5. जिन अभ्यर्थियों ने जाँच के क्रम में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत शैक्षणिक/जाति/आवासीय प्रमाण पत्र इत्यादि समर्पित/प्रस्तुत नहीं किया है, वे योगदान के साथ उक्त वांछित प्रमाण पत्र निश्चित रुप से समर्पित करेंगें, अन्यथा उनका योगदान स्वीकृत नहीं किया जाएगा।

6. सभी अभ्यर्थी परीक्षा विवरणी में निर्गत Annexure-III में एकरारनामा अनिवार्य रुप से योगदान के पूर्व मुख्यालय में प्रस्तुत करेंगें।

7. **नवनियुक्त सहायक प्रबंधक को वैसे गोदाम के अतिरिक्त प्रभार में पदस्थापित हैं तो अतिरिक्त गोदाम का प्रभार हीं उन्हें (नवनियुक्त सहायक प्रबंधक) दी जाय।**

8. नवनियुक्त सहायक प्रबंधकों को सी0एम0आर0 गोदाम में पदस्थापित किया गया है। यदि सी0एम0आर0 गोदाम में उनके पदस्थापन की आवश्यकता नहीं है तो ऐसी स्थिति में केवल खाली बचे टी0पी0डी0एस0 गोदाम में हीं पदस्थापन की जाय।

9. अतिरिक्त प्रभार वाले टी0पी0डी0एस0 गोदाम या पूर्व से कार्यरत वैसे सहायक प्रबंधक जो अतिरिक्त प्रभार में हैं, उन्हें किसी भी स्थिति में किसी भी सहायक प्रबंधक को (नवनियुक्त या पूर्व से कार्यरत सहायक प्रबंधक) टी0पी0डी0एस0 एवं सी0एम0आर0 का दोहरा प्रभार नहीं दिया जाय, ऐसा करना नियम के विपरित होगा।

10. वैसे नवनियुक्त सहायक प्रबंधक जिनको सी0एम0आर0 गोदाम दिया गया है, उन्हें जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम खाली पड़े सी0एम0आर0 गोदाम में आवश्यकता के अनुसार पदस्थापन कर सकते हैं।

प्रबंध निदेशक के आदेश से।

ह0/-
प्रमुख प्रशासन।

ज्ञापांकः- 513 दिनांकः- 18/01/17

प्रतिलिपि–सभी प्रमुख/उप प्रमुख/कम्प्युटर शाखा/जनसम्पर्क पदाधिकारी, निगम मुख्याल, सभी जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, बिहार एवं सभी सहायक प्रबंधकों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रमुख प्रशासन।